तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

17.7.2017	पत्रावली पेश हुई। और सायल कुनाराम उप० को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रेषित रिपोर्ट इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] के मौजा केकेहवार के ख०न० 456 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मु० रास्ता पर सम्वत 2074 को कुनाराम पुत्र पोखाराम जाति जाट निवासी केकेहवार के बिना स्वीकृति व खाई खोदकर नाजायज कब्जा करने की रपट [illegible] पी. रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर [illegible] भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत	कुनाराम

[illegible] प्रस्तुत की कर अतिक्रमी के विरुद्ध LR Act [illegible]
की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी
उपस्थित हुआ एवं सुना गया एवं बयान लिए [illegible]
[illegible] की [illegible] पटवारी
[illegible] अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमी ने [illegible]
[illegible] के खसरा नं 456 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म [illegible]
[illegible] पर [illegible] कब्जा किया है [illegible]
राजकीय भूमि [illegible] पर अतिक्रमण करने [illegible]
[illegible] किया जाकर राजकीय भूमि [illegible] पर [illegible]
[illegible] को [illegible] से बेदखल करने [illegible]
[illegible] 07/- रु
[illegible] के [illegible] का [illegible]
([illegible]) कायम किये गये हैं। [illegible]
को [illegible] बेदखल [illegible] जुर्माना राशि की वसूली [illegible]
[illegible] जुर्माना [illegible] हेतु [illegible] को
[illegible] फैसला सुनाकर [illegible]
[illegible] दिनांक 17-7-2017 को [illegible] सुनाया
गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)